राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपूर

क्रमांक-एफ 11 (४८) ()आरएण्डपी/सान्याअवि/14/55103

जयपुर दिनांकः 🛇 अक्टूबर 2014

आदेश ः

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11 (48)(1) आर एण्ड पी/सान्याअवि/30691 दिनांक 14.04.2012 द्वारा निर्देशित किया गया था।

सामाजिक न्यार्थे और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली ने पत्रांक 11012/3/2013-पीसीआर (डेस्क) दिनांक 10.07.2014 द्वारा अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अत्याचार पीड़ितों को देय राहत राशि में मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23.06.2014 द्वारा संशोधन कर वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार द्वारा राहत राशि में की गई वृद्धि के अनुसार राहत राशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः पूर्व में जारी आदेश दिनांक 14.04.2012 के साथ संलग्न परिशिष्ठ—"अ" को विलोपित किया जाता है एवं नियम 11 से संबन्धित प्रावधान पूर्व में जारी आदेशानुसार यथावत रहेगे तथा आदेशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत आने वाले अत्याचार प्रकरणों से पीड़ितों को (भारत सरकार से प्राप्त अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति अत्याचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2014 राजपत्र की प्रति)संलग्न परिशिष्ठ-"अ" के अनुसार राहत राशि स्वीकृत की जावें। उक्त संशोधन दिनांक 23.06.2014 से लागू होंगे तथा दिनांक 23.06.2014 से पूर्व दर्ज प्रकरणों में संशोधन पूर्व की दरे प्रभावी रहेगी।

सभी जिला कलक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार में उक्त आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश वित्त विभाग की आई डी संख्या 161400972 दिनांक 03.09.2014 की सहमति से जारी किये जाते है।

सलंग्न :- उपरोक्तानुसार

M 20-10-14 (अम्बरीष कुमार) निदेशक

क्रमांक एफ 11 (48) ()आरएण्डपी/सान्याशवि/14/ 55 104-ुण्ल्यपुर विनांकः 2 अक्टूबर 2014 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- 1. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 1. अध्यक्षय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 1. माननीय अध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान, जयपुर।
- 2. माननीय अध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग, राजस्थान, जयपुर।
- 3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4. महा निदेशक, पुलिस विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 6. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 7. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 8. निदेशक, (एससीडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 9. आयुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकासं विभाग, उदयपुर।
- 10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
- 11. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/आयोजना विभाग/विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 12. श्री प्रेमसिंह मेहरा,(नोडल अधिकारी) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 13. महानिरीक्षक, पुलिस, नागरिक अधिकार रक्षा प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
- 14. निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
- 15. निदेशक, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग/अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
- 17. समस्त जिला कलक्टर।
- 18. समस्त पुलिस अधीक्षक,
- 19. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यावास 🖊 🛆 С
- 20. परियोजना निदेशक / उप निदेशक (एस.सी. एस.पी.), मुख्यावास।
- 21. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- 22. रक्षित पत्रावली।

M 2010.14 निदेशक

Most Immediate

च्यां १४ व्रम् । भारतन सर्विष क्षेत्राहरतन्त्राहेल स्वायन स्वीतराज्या एवं

नामारिक सुरक्षा (देशा) प्रातंन सविवालय, कंचप्र ायरी क्रमांक 80

No. 11012/3/2013-PCR (DESK) Government of India

Ministry of Social Justice & Empowerment Department of Social Justice & Empowerment 344/05/15/CVI

Shastri Bhawan, New Delhi, Dated: 10-07-2014

The Principal Secretary, SC/ST Development Department C/53 8

All Sate Governments and UT Administrations (except State of Jammu & Kashmir),

Subject:- The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) (Amendment) Rules, 2014.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject noted above and to say that consequent upon χ eview of the existing relief amount to atrocity victims, prescribed in the Schedule to the PoA Rules, 1995, as amended in December 2011 vide the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) (Amendment) Rules, 2011, the Central Government after consultation with the State Governments/Union Territory Administrations, concerned Central Ministries, National Commission for Scheduled Castes, has further amended in the PoA Rules, by which the relief amount to atrocity victims has been further increased by 50% (i.e. between Rs. 75,000/ to Rs.7,50,000/- depending upon the nature of offences). Accordingly, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) (Amendment) Rules, 2014, have been notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), on 23.06.2014. A copy of the said notification is enclosed herewith for necessary action. It is also requested that adequate publicity of the amendment Rules may be made in print and electronic media. for the benefit of target groups and also for the general public. The implementation of the amended Rules in the States/UTs may also please be confirmed.

Encl.: As above

Yours faithfully,

(G. K. Dwivedi) Director (SCD)

Tele No. 011-23385491



HIRCH & STUST The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] No. 331] नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2014/आषाढ़ 2, 1936

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2014/ASADHA 2, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2014

सा.का.नि. 416 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की अनुसूची में अनुसूची और अनुबंध-1 के स्थान पर निम्निलिखित अनुसूची और अनुबंध-1 रखा जाएगा, अर्थात् :-

2556 GI/2014

7, 1.

"अनुसूची अनुबंध-I

[नियम 12(4) देखिए)]

राहत रकमं के लिए सन्नियम

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम रकम
	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [धारा 3(1)(i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और उसकी गंभीरता को देखते हुए नब्बे हजार रुपए या उससे अधिक और जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर अपमान, क्षिति और मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा ।
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा 3(1)(II)]	दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : 1 25 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप-पृत्र भेजा जाए ।
3.	अनादर सूचक कार्य [धारा 3(1)(III)]	2. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए । अपराध के स्वरूप और गंधीरता को देखते हुए कम से कम नब्बे हजार रुपए
4.	सदोष भूमि की अधिमोग में लेना या भूमि पर कृषि करना, आदि [धारा 3(1)(iv)]	अपराध के स्वरंभ और गंबारता प्राप्त प्राप्त प्राप्त जिल्ला आपूर्त जहां आवश्यक हो या उससे अधिक भूमि या परिसर या जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो सरकार के खर्च पर पुन: वापस की जाएंगी । जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए ।
5.	भूमि परिसर या जल से संबंधित [धारा 3(1)(v)]	प्रत्येक पीडित व्यक्ति को कम से कम नबे हजार रुपए । प्रथम सूचना रिपोर
6	बेगार या बलात् श्रम या बंघुआ मजदूरी [धारा 3(1)(vi)]	प्रत्येक पाडित व्यक्ति को पन स्व अगैर 75 प्रतिशत निचले न्यायालय होने की अवस्था में 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय होषसिद्ध होने पर । प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति से पच्चहत्तर हजार रुपए तक जो अपराध के स्वरू
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3(1)(vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति से पच्चहत्तर हजार रुपए तथा जा जनता का आर गंभीरता पर निर्भर है । नब्बे हजार रुपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्
8.	मिध्या, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [धारा 3(1)(viii)]	नबे हजार रुपए या वास्तावक विविध ज्या जार कार कार कार कार के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो ।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी [धारा 3(1)(ix)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित ब्यक्ति को नब्बे हजार रुप
10.	अपमान, अभित्रांस और अवमानना [धारा 3(1)(x)]	तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भंजा जाए आर श दोष-सिद्ध होने पर ।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3(1)(xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को एक लाख अस्सी हजार रुपए, चिकित्सा जांच परचात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण व समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
12.	महिला का लैंगिक शोषण [धारा 3(1)(xii)]	तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो र
13.	पानी गंदा करना [धारा 3(1)(xiii)]	साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने का पूरा लागत। र स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14.	मार्ग के रुढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना	तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल क की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर । प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्याया में दोष सिद्ध होने पर ।
15.	किसी को निवास-स्थान छोड़ने पर मजबूर करना	स्थल बहाल करना । ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की हजार रुपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि





		The state of the s
	[धारा 3(1)(xv)]	किया गया हो । पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप-पन्न भे जाए ।
16.	मिथ्या साक्ष्य देना	कम से कम तीन लाख यच्चहत्तर हजार रूपए या उठाए गए नुकसान या हानि
111. " 181 2	[धारा 3(2)(l) और (ii)]	पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा ज और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 व	
WENT IN	उससे अधिक की अवधि के कारावार	र प्राचित क्यां का अप है। राज्य क्यां क्यां क्या क्यां क्या
	दंडनीय अपराध करना	विशिष्टि अस्सा हजार रुपए यदि अनुसूची में विशिष्टि
	[घारा 3(2)(V)]	अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न	उसी प्रकार से प्रतिकर का भुगतान किया जाए, जिस प्रकार से या
19.	[धारा 3(2)(vii)]	अमियुक्त लोक सर्वक न हो
19.	निःशक्तता - निःशक्तता की परिभाषा निः	शक्त .
	व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण	और
	पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धार	त में
	यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के	लिए
	दिशानिर्देश, सामाजिक न्याय और अधिका मंत्रालय के तारीख 1.6.2001 की भ	रिता
	सरकार की अधिसूचना संख्यांक 154 सम	गरत
1 1	समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होर्ग	44-
	अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध	
	पर रालान है।	1-2
142 144	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
A - L - 30		
12 10	(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	
		अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार,
1 1	A PO TOP TO THE TANK OF THE	50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र पर और
		25 प्रतिशत निचले ऱ्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ।
N E MI		
has make	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम सात लाख पचास हजार रूपए,
		20 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट या चिकित्सा जांच पर भगतान किया जाए और
		25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले
		न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर ।
- 1		न्यायालय म दार्ष सिद्ध होने पर ।
(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सहसा
(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है ।	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रूपए से अन्यान रकम और
(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है ।	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से पाक
	That are a fine	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रूपए से अन्यान रकम और
D. ह	त्या या मृत्यु	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी।
D. ह	That are a fine	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी।
D. ह	त्या या मृत्यु	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी।
D. ह	त्या या मृत्यु	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी।
). ह (र	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष
). ह (र	त्या या मृत्यु	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए।
). ह (र	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। उ प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उ प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय हारा दोष
o. ह (र (स	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य व) परिवार का कमाने वाला सदस्य	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उन्हें प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के परचात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
). ह (र (स्	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य ब) परिवार का कमाने वाला सदस्य था, मृत्युं, नरसंहार, बलात्संग, सामहिक	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चल न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भगतान की गई शहत की रुप्त के अधिरिक्त मां रोष सिद्ध होने पर।
). ह (र (र हत बल	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य ब) परिवार का कमाने वाला सदस्य था, मृत्यु, न्रसंहार, बलात्संग, सामूहिक वात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चस न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। पर्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्येक्त मर्वो के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नालिखित रुपा के
). ह (र (र हत बल	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य ब) परिवार का कमाने वाला सदस्य था, मृत्युं, नरसंहार, बलात्संग, सामहिक	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उन्हें प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के परचात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
). ह (र (र हत बल	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य ब) परिवार का कमाने वाला सदस्य था, मृत्यु, न्रसंहार, बलात्संग, सामूहिक वात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। पर्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्युक्त मर्दो के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्निलिखित रूप से की जाए:-
). ह (र (र हत बल	त्या या मृत्यु क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य ब) परिवार का कमाने वाला सदस्य था, मृत्यु, न्रसंहार, बलात्संग, सामूहिक वात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपए से अन्यून रकम की कमी की जाएगी। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चस न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। पर्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपए। उपर्येक्त मर्वो के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नालिखित रुपा के

4			
4			
4			
4			

(iii) तीन मास की अवधि तक के लिए वर्तनों, चावल, गेहूं, आदि की व्यवस्था ।		आवश्यक हो तो तत्काल खरीर द्वारा । (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा को आश्रम के विद्यालयों या आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया						
आदि की व्यवस्था ।	दालों, दला	(iii) तीन मास की अवधि तक के लिए वर्तनों, चावल, गेहूं, ट	-					
्र प्राप्त मा जला हुआ मुकान । जहां नवगा वर्ग करा ।	वहां सरकार	आदि की व्यवस्था ।	100	*		ä		ş ş
22 पूर्णतया नष्ट करना या जला हुआ मकान । जहां मकान का जिला प्या जला किया जाए या उस	की व्यवस्था	जहां मकान को जला दिया गया है या गर्ट । खर्च पर ईंट-पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी		हुआ मकान् ।	ा या जला	नष्ट करन	पूर्णतया	22.

[फा.सं.-11012/03/2013-पी.सी.आर. (डेस्क)] संजीव कुमार संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 316(अ), तारीख 31 मार्च, 1995 को प्रकाशित किए गए थे और अधिराचना सा.का.मि. ८९६(अ), तारीख 23 दिसंबर 2011 द्वारा उसका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (Department of Social Justice and Empowerment) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2014

- G.S.R. 416 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-
- 1.(1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) (Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, for the Schedule and Annexure-I, the following Schedule and Annexure-I shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE ANNEXURE-I [see rule 12(4)] NORMS FOR RELIEF AMOUNT

	To: 51 06-22	Minimum amount of Relief
S1. No.	Name of the Offence	(3)
(1)	(2)	
1	Drink or eat inedible or obnoxious substance [Section 3 (1) (i)]	Ninety thousand rupees or more depending upon the nature and gravity of the offence to each victim and also commensurate with the indignity, insult, injury and defamation suffered by the victim.
2	Causing injury insult or annoyance [Section 3(1)(ii)]	Payment to be made as follows - 1. 25 per cent when the charge sheet is sent to the court
3	Derogatory act [Sec. 3(1) (iii)]	II. 75 per cent when accused are convicted by the lower court.
4	Wrongful occupation or cultivation of land, etc. [Section 3(1)(iv)]	At least Ninety thousand rupees or more depending upon the nature and gravity of the offence. The land or premises or water supply shall be restored where necessary at Government cost. Full payment to be made when charge-sheet is sent to the court.
5	Relating to land, premises and water [Section 3(1)(v)]	
6	Begar or forced or bonded labour [Section 3(1) (vi)]	At least Ninety thousand rupees to each victim. Payment of 25 per cent at First Information Report stage and 75 per cent on conviction in the lower court.
7	Relating to right to franchise (Section 3(1)(vii))	Upto Seventy five thousand rupees to each victim depending upon the nature and gravity of the offence.
8	False, malicious or vexatious legal	Ninety thousand rupees or reimbursement of actual legal expenses and damages or



(5)	~ 1
6/	39

	proceedings [Section 3(1) (viii)]	whichever is less after conclusion of the trial of the accused
٠,	False and frivolous information [Section (1)(ix)]	13
10	Insult, intimidation and humiliati [Section 3 (1)(x)]	on Upto Ninety thousand rupees to each victim depending upon the nature of offence. Payment of 25 per cent when charge-sheet is sent to the court and rest conviction.
11	Outraging the modesty of a wom [Section 3 (1)(xi)]	an One lakh eighty thousand rupees to each victim of the offence. 50 per cent of amount may be paid after medical examination and remaining 50 per cent at
12	Sexual exploitation of a woman [Section 3(1)(xii)]	conclusion of the trial
13	Fouling of water [Section 3 (1) (xiii)]	Upto Three lakh seventy five thousand rupees or full cost of restoration of norm facility, including cleaning when the water is fouled. Payment may be made at a stage as deemed fit by District Administration.
1.4	Denial of customary rights of passage[Section 3(1) (x);)]	Of Upto Three lakh seventy five thousand or full cost of restoration of right of passa and full compensation of the loss suffered, if any. Payment of 50 per cent wh charge sheet is sent to the court and 50 per cent on conviction in lower-court.
15	Making one desert place or residence[Section 3(1) (xv)]	Restoration of the site or right to stay and compensation of Ninety thousand rupe to each victim and reconstruction of the house at Government cost, if destroyed. I be paid in full when charge sheet is sent to the lower court.
16	Giving false evidence [Section 3(2)(i) and (ii)]	
17	Committing offences under the Indian Penal Code punishable with imprisonmen for a term of ten years or more [Section 3 (2)(v)]	t the offence to each victim and or his dependents. The amount shall are
18	Victimization at the hands of a public servant [Section 3(2)(vii)]	Same as the compensation payable, if the accused was not a public servant.
	Disability as given in section 2 of the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, guidelines for their assessment shall be as contained in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India Notification No. 154, dated the 1st June, 2001, as amended from time to time. A copy of the notification is at Annexure – II to the Schedule. (a) 100 per cent incapacitation (i) Non-earning Member of a family	At least Three lakh seventy five thousand rupees to each victim of offence. 50 per cent on First Information Report and 25 per cent at charge sheet and 25 per cent on conviction by the lower court. At least Seven lakh fifty thousand rupees to each victim of offence, 50 per cent to be paid on First Information Report or Medical examination stage. 25 per cent
v	(b) Where incapacitation is less than 100 per cent	when charge-sheet sent to court and 25 per cent at conviction in lower court. Provided that an amount of not less than sixty thousand rupees from the amount payable to non-earning member of a family and an amount of not less than one lakh twenty thousand rupees from the amount payable to an earning member of a family may be reduced.
20	Murder or Death	
	(a) Non-earning Member of a family	At least three lakh seventy five thousand rupees to each case. Payment of 75 per cent after postmortem and 25 per cent on conviction by the lower court.
, I	(b) Earning Member of a family	At least Seven lakh fifty thousand rupees to each case. Payment of 75 per cent after postmortern and 25 per cent on conviction by the lower court.
21	Victim of murder, death, massacre, rape mass rape and gang rape, permanent	In addition to relief amounts paid under above items, relief may be arranged within three months of date of atrocity as follows -
	incapacitation and dacoity	(i) Pension to each widow and / or other dependents of deceased Scheduled Castes and Scheduled Tribes @ Four thousand five hundred rupees per month, or employment to one member of the family of the deceased, or provision of agricultural land, an house, if necessary by outright purchase.
- 1		8 (1997)

2558 517 14-2

****	~ . ~			
THE	GAZETTE	OF INDIA	· EXTR	AORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

	(iii) Provision of utensils, rice, wheat, dals, pulses, etc. for a period of three month
Complete destruction or burnt houses	Brick or stone masonary house to be constructed or provided at Government cost where it has been burnt or destroyed".

[F. No. 11012/03/2013-PCR(Desk)] SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995 and subsequently amended vide notification G.S.R. 896(E), dated the 23rd December, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Linesans